संख्या— 10\ / 54—1—13 / 08(09) / 2011टीसी

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद—जौनपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2013
(समादेश बन्धु)

विषय— समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 में स्वीकृत परियोजनाओं के परियोजना मद की 14 प्रतिशत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्र संख्या—के 11013 / 19 / 2010 / आईडब्ल्यूएमपी(यूपी) दिनांक 05.07.2012 से प्राप्त केन्द्रांश एवं शासनादेश संख्या—16 / 54—1—2012—8(23) / 2011टीसी दिनांक 15.01.2013 द्वारा प्राप्त राज्यांश की प्रोजेक्ट मद (परियोजना मद) की कुल सम्मिलित धनराशि (कालम सं0—8 के अनुसार) को समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आपके पास निम्न विवरणानुसार इलाहाबाद बैंक, बापू भवन शाखा, लखनऊ, द्वारा आरटीजीएस / एनईएफटी के द्वारा आपको परियोजनावार कुल ₹ 86.63820 लाख (रुपया छियासी लाख तेरसठ हजार आठ सौ बीस मात्र) की धनराशि प्रेषित की जा रही है:—

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद / आईडब्ल्यूएमपी प्रोजेक्ट का नाम	केन्द्रांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि	योग	शासन स्तर पर रोकी गयी धनराशि (0.55%)	जनपद को प्रेषित धनराशि
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (6—7)*
1.	जौनपुर—II/2010-11	19.72080	2.19120	21.91200	1.82028	20.09172
2.	जौनपुर—III/ 2010-11	50.80320	5.64480	56.44800	2.52252	53.92548
3.	जौनपुर—IV/2010-11	12.32712	1.36968	13.69680	1.07580	12.62100
	योग	**82.85112**	**9.20568**	**92.05680**	**5.41860**	**86.63820**

इस धनराशि का आहरण एवं उपयोग निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन किया जायेगा :—

1— परियोजना मद की इस धनराशि का आहरण डब्ल्यूसीडीसी के अध्यक्ष एवं परियोजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जायेगा तथा लेखों का मिलान बैंक से नियमानुसार समय—समय पर कराया जायेगा।

2— परियोजना मद की धनराशि स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी को सूचित किये गये बैंक के परियोजना के बचत खातों में रखी जायेगी तथा व्यय स्वीकृत मदों में ही स्वीकृत सीमा तक सुसंगत वित्तीय नियमों / आदेशों के अनुसार किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य बैक या किसी अन्य खातों में नही रखा जायेगा और न ही किसी प्रकार के सावधि जमा (अल्पकालीन / मध्यकालीन) खाते में रखा जायेगा।

3— धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन—2008 (संशोधित—2011) एवं समय—समय पर जारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खाता संचालन सम्बन्धी नियमों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा।

4— शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश एवं माँगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराने के साथ–साथ व्यय की गयी धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक मदवार सूचना भारत सरकार एंव शासन को एम.आई.एस. पद्धति से भारत सरकार की वेबसाइट dolr.nic.in एंव शासन की E-mail- ddcell@upldwr.com पर उपलब्ध करायी जायेगीं।

5— इस धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या के0–11013 / 19 / 2010 / आईडब्ल्यूएमपी (यूपी) दिनांक 05.07.2012 को भी संज्ञान में रखा जायेगा ।

6— जनपद में डब्ल्यूसीडीसी **स्तर पर** चेकबुक रजिस्टर, ग्रान्ट रिसीब्ड रजिस्टर, ग्रान्ट डिस्टीब्यूशन रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी एवं पी0आई0ए0 से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर, मदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर तथा **पी0आई0ए0 स्तर पर** राज्य से प्राप्त ग्रान्ट रजिस्टर, डब्ल्यूसीडीसी को प्रेषित यू0सी0 का रजिस्टर, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर वित्तीय, भौतिक प्रगति एवं **वाटरशेड कमेटी स्तर पर** कैश बुक, कार्यालय व्यय रजिस्टर, वाउचर रजिस्टर, बैंक पासबुक, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, अग्रिम / समायोजन रजिस्टर, चेकबुक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, वाटरशेड सम्पत्ति से प्राप्त आय के विवरण का रजिस्टर, डब्ल्यू0डी0एफ0 एकाउन्ट रजिस्टर रिवाल्विंग फण्ड रजिस्टर एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर आदि अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित कराई जायेगी।

7—इस धनराशि से वेतन / वाहन / फोटो कापीयर मशीन / वी0डी0ओ0रिकार्डर / प्रोजेक्टर / स्थायी भवन निर्माण अथवा अन्य किसी पूँजीगत मद में व्यय नही किया जायेगा।

8— एसएलएनए, बैक एंव डब्ल्यूसीडीसी के मध्य त्रिपक्षीय अनुवन्ध (एम0ओ0यू0) कराया जायेगा जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन–2008 (संशोधित–2011) एवं समय–समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी खाता संचालन संबंधी नियमो एवं निर्देशों का अनुपालन करने तथा खाते में जमा अवशेष पर प्राप्त ब्याज की धनराशि की सूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर भारत सरकार की वेबसाइट dolr.nic.in एवं शासन की E-mail-ddcell@upldwr.com पर सूचित करने तथा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण / स्थानान्तरण नही करने का उल्लेख होगा।

9— वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले वर्ष माह अगस्त के अन्दर लेखो का आडिट भारत सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेट के पैनल से करवाकर आडिट रिपोर्ट एवं यू0सी दो प्रतियों में स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10— जनपद स्तर पर समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित की जायेगी। वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधिक, कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी है।

11— भारत सरकार से अनुमोदित / प्रस्तावित परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायेगा और कार्य कराने से पूर्व उसका विस्तृत विवरण / आगणन / डीपीआर तथा कार्ययोजना जिसमें विशेष रूप से माईल्स्टोन तथा टाईम लाइन्स का समावेश करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए परियोजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

12— यह धनराशि कुल परियोजना की संशोधित स्वीकृत लागत का 14 प्रतिशत धनराशि प्रेषित की जा रही है जिसमें प्रशासनिक मद, संस्था एवं कैपेसिटी बिल्डिंग, वाटरशेड डवलपमेन्ट कार्य, लाइवलीहुड एक्टीविटीज तथा प्रोडक्शन सिस्टम एवं माइक्रोइण्टरप्राइजेज की धनराशि है।

13— प्रश्नगत कार्य कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि राज्य सरकार / भारत सरकार / अन्य किसी श्रोत से इस परियोजना हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है।

14— कार्य में प्रयोग की जाने वाली धनराशि का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा तथा कार्य के

अनुमान/आगणन पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

15— परियोजना में विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

16— परियोजना के कार्यान्वयन में संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के साथ भी प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा और इनके द्वारा निरन्तर रूप से परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

17— भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण के समय जनपद स्तर /पीआईए स्तर पर /डब्ल्यू सी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों एवं बैंक खातों के निरीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जायेगें तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान कराया जायेगा

18— परियोजना के लिए स्पष्ट रूप से क्षेत्र/लाभार्थी को अभिज्ञानित कर जनमानस के लिए सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनमानस के सहयोग से द्विरावृत्ति को रोका जा सके। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण/सत्यापन भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

19— परियोजना कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि को 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं तथा डब्ल्यू0सी0 को नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।

20— इस धनराशि का अंकन ग्रान्ट रजिस्टर के क्रमांक—62 व 124 पर कर लिया गया है।

कृपया उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करते हुये प्राप्ति रसीद/पुष्टि प्रमाण—पत्र शासन के फैक्स संख्या—0522—2238425 पर तत्काल प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—भारत सरकार का पत्र दिनांक 05.07.2012

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या— (1)/54—1—13/08(09)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11ब्लाक, छठा तल, सी0जी0 ओ0 काम्पलेक्स,लोधी रोड,नई दिल्ली ।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एव जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन ।
4. राज्य योजना आयोग—1/नियोजन अनुभाग —3/वित्त(व्यय—नियंत्रण)अनुभाग—1
5. संयुक्त निदेशक, समादेश बंधु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन
6. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ।
8. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद—जौनपुर।
9. उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, वाराणसी मण्डल, वाराणसी
10. शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, बापू भवन सचिवालय, लखनऊ।
11. एन0आई0सी0 की प्रति।
12. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, 23—सी, गोखले मार्ग, लखनऊ, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं जिलाधिकारी,/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी, जौनपुर को **ई—मेल** भी प्रेषित करें।
13. गार्ड फाइल।

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी